

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0 :- _____/ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- _____
ग्रा0वि0-14(नि0को0)वैशाली-42/2017

श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार प्रखंड, जिला- वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 04.09.2017 को परिवारवादी श्री सोनू पासवान से ₹30,000.00 (तीस हजार रुपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 070/2017 दिनांक- 04.09.2017, धारा- 7/8/13(2)-सह-पठित धारा- 13(1)(डी) अ0नि0अधि0 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जापांक- 2625/अप0शा0 दिनांक- 13.09.2017 से प्राप्त हुई जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 12703 दिनांक- 05.10.2017 के माध्यम से प्राप्त हुआ।

2. तत्पश्चात् बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 04.09.2017 के प्रभाव से निलम्बित किया गया, परंतु श्री कुमार द्वारा दिनांक- 06.11.2017 को कारा से मुक्त होने की सूचना देते हुए दिनांक- 07.11.2017 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(3)(i) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या- 340283 दिनांक- 30.11.2017 द्वारा निलम्बनमुक्त करते हुए दिनांक- 07.11.2017 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया।

3. चूंकि श्री कुमार के विरुद्ध गम्भीर कदाचार का आरोप एवं निगरानी थाना काण्ड सं0-70/2017 दिनांक- 04.09.2017 दर्ज है, अतः श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम- 9(1)(ग) के तहत योगदान स्वीकृति तिथि दिनांक- 07.11.2017 के प्रभाव से पुनः निलम्बित किया जाता है।

4. निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुजफ्फरपुर समाहरणालय, विकास शाखा निर्धारित किया जाता है।

5. निलम्बन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. उपरोक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

जापांक :- 340284 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 30/11/2017

चपरासी

बही

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियां में सी.डी. सहित) को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

जापांक :- 340284 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 30/11/2017

निबन्धित/

ईमेल/चपरासी

बही

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, वैशाली/ उप विकास आयुक्त, वैशाली/ जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली / पुलिस अधीक्षक, वैशाली / जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर / जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / विशेष कार्य पदाधिकारी, लेखा प्रशाखा/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03; ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार, जिला- वैशाली / श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार प्रखंड, जिला- वैशाली सम्प्रति ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

जापांक :- 340284 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 30/11/2017

चपरासी बही

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

जापांक :- 340284 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 30/11/2017

चपरासी बही

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने

सरकार के संयुक्त सचिव।